



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों से अलग-अलग सेवाओं/संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों (आरक्षण कोटिवार) के आलोक में अध्याचना भेजी गई है। अध्याचनानुसार 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद/सेवा निम्नांकित सारणी-I एवं सारणी-II में दर्शायी गयी है:-

सारणी - I (70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा)

क्र. सं.	विभाग/पद एवं अन्य संवर्ग का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ							कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग	न्यूनतम उम्र
			अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला				
			महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या										
1.	अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा	Level - 9	80	20	32	02	36	24	06	200	04	VI- 02 DD- 02 OH- 02 MD- 02	22 वर्ष
			28	07	11	00	13	08		67			
2.	पुलिस उपाधीक्षक, (बिहार पुलिस सेवा), गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	Level - 9	52	13	28	01	24	12	06	136	02	00	20 वर्ष
			18	05	08	00	08	04		43			
3.	जिला समादेष्टा, (बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा), गृह विभाग (विशेष शाखा)	Level - 9	05	01	02	00	01	02	01	12	00	00	20 वर्ष
			02	00	00	00	00	00		02			
4.	काराधीक्षक, (बिहार कारा सेवा), गृह विभाग (कारा)	Level - 9	01	00	00	00	02	00	00	03	00	00	20 वर्ष
			00	00	00	00	00	00		00			
5.	राज्य-कर सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य-कर विभाग	Level- 9	65	16	31	01	26	25	04	168	04	VI-01 DD-02 OH-02 MD-01	22 वर्ष
			23	06	09	00	09	08		55			
6.	अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	Level - 9	09	01	00	00	00	01	00	11	00	00	22 वर्ष
			03	00	00	00	00	00		03			
7.	अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार निर्वाचन सेवा	Level - 9	03	01	04	00	00	04	00	12	00	00	22 वर्ष
			01	00	00	00	00	00		01			
8.	बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग	Level - 9	12	03	13	00	13	08	01	50	00	DD-01 OH-01	22 वर्ष
			04	01	02	00	02	01		10			
9.	सहायक निदेशक (समाजिक सुरक्षा कोषांग), समाज कल्याण विभाग	Level - 9	05	01	02	00	03	01	00	12	00	VI-01	22 वर्ष
			02	00	00	00	01	00		03			
10.	सहायक निदेशक (दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग), समाज कल्याण विभाग	Level - 9	04	01	02	00	00	02	00	09	00	00	22 वर्ष
			01	00	00	00	00	00		01			
11.	सहायक निदेशक (बाल संरक्षण सेवा), समाज कल्याण विभाग	Level - 9	07	01	00	00	00	00	01	09	00	00	22 वर्ष
			02	00	00	00	00	00		02			
12.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	Level - 9	02	01	00	00	00	02	01	06	00	00	22 वर्ष
			00	00	00	00	00	00		00			
13.	ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	Level - 9	01	00	00	00	00	00	00	01	00	00	22 वर्ष
			00	00	00	00	00	00		00			

क्र. सं.	विभाग/पद एवं अन्य संवर्ग का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ							कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग	न्यूनतम उम्र
			अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला				
			महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या										
14.	नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग	Level - 9	05	01	03	00	04	01	00	14	00	00	22 वर्ष
			00	00	00	00	00	00		00			
15.	सहायक योजना पदाधिकारी/सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग	Level - 9	14	02	00	00	04	03	00	23	01	OH-01	21 वर्ष
			05	00	00	00	01	01		07			
16.	अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि (बिहार परिवहन सेवा) परिवहन विभाग	Level - 7	02	00	01	00	01	00	00	04	00	00	21 वर्ष
			00	00	00	00	00	00		00			
17.	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग	Level - 7	32	06	09	01	08	01	02	59	02	VI- 01 MD-01	21 वर्ष
			11	02	03	00	03	00		19			
18.	ग्रामीण विकास पदाधिकारी, (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग) ग्रामीण विकास विभाग	Level- 7	161	39	56	05	72	47	13	393	08	VI- 04 DD- 04 OH- 04 MD- 04	21 वर्ष
			56	14	20	02	25	16		133			
19.	राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	Level- 7	99	24	47	03	53	56	05	287	05	VI- 03 DD- 03 OH- 02 MD- 02	21 वर्ष
			35	08	14	00	15	11		83			
20.	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग	Level- 7	26	07	12	00	08	11	03	67	01	VI-01 DD-01	21 वर्ष
			09	02	04	00	03	04		22			
21.	प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, (बिहार पंचायत सेवा), पंचायती राज विभाग	Level- 7	45	08	16	00	10	04	00	83	01	VI- 01 OH-01 MD-01	21 वर्ष
			16	03	06	00	04	01		30			
22.	आपूर्ति निरीक्षक (बिहार आपूर्ति सेवा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	Level- 7	89	22	37	04	39	29	13	233	04	VI-02 OH-03 DD-02 MD-02	21 वर्ष
			31	08	13	00	14	09		75			
23.	प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग	Level- 7	71	13	10	02	13	14	02	125	02	VI-01 DD-01 OH-02 MD-01	21 वर्ष
			25	05	04	00	05	05		44			
24.	प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	Level - 6	15	03	03	01	05	00	01	28	01	OH-01	22 वर्ष
			05	01	01	00	02	00		09			
Total			805	184	308	20	322	247	59	1945	35	66	
			277	62	95	02	105	68		609			

सारणी - II (अन्य)

क्र. सं.	विभाग/पद/संवर्ग का नाम	वेतनमान	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ							कुल पद	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी	दिव्यांग	न्यूनतम उम्र
			अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्गों की महिला				
			महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या										
01	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग	Level -9	10	01	00	00	00	01	00	12	00	VI-01	21 वर्ष
			04	00	00	00	00	00		04			
Total			10	01	00	00	00	01	00	12	00	01	
			04	00	00	00	00	00		04			

- नोट:-I. दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शायी गयी है:- VI- दृष्टि दिव्यांग, DD- मूक बधिर दिव्यांग, OH- चलन दिव्यांग, MD- मनोविकार दिव्यांग/बहुदिव्यांग।
- II. प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के पूर्व अध्यायी दिनांकों से प्राप्त होने वाली अध्यायना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्ति पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- III. उक्त विज्ञापन के लिए भरे गये आवेदनों की संख्या के आधार पर प्रारम्भिक परीक्षा एक से अधिक पालियों/एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है।
- IV. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13111, दिनांक-19.08.2024 के आलोक में प्रकाशित पद हेतु नियुक्ति संबंधी कार्रवाई CWJC No.-16760/2023 में दिनांक- 20.08.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP (C) No.- 014086/2024, 014425/2024, 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/ 2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024 एवं 014430/2024 में पारित आदेश के फलफल से प्रभावित होंगे।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाईन (online) आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

2. शैक्षिक योग्यता:-

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	शैक्षिक योग्यता
01	70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा	मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
02	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय (1) गृह विज्ञान (2) मनोविज्ञान (3) समाजशास्त्र (4) श्रम एवं समाज कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा।

- नोट:- (i) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा।
- (ii) विशेष शैक्षिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी।

3. आरक्षण:-

- (i) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- (iii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (iv) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
(a) जाति प्रमाण-पत्र
(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- (C) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (D) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

आरक्षण कोटि निम्नवत् है :-

क्र. सं.	आरक्षण कोटि	ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि	कोटि कोड
1.	अनारक्षित (Unreserved)	UR	01
2.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
3.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
5.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
6.	पिछड़े वर्गों की महिला (Backward Class Ladies)	BCL	06
7.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

(क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक- 962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों (Persons with Benchmark Disability) को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित/संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र औपबन्धिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon/CMO द्वारा निर्गत) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबन्धिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा- 2(r) के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस दिव्यांग अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक (Scribe) की आवश्यकता होगी, उन्हें ऑनलाईन आवेदन के कंडिका- 3 में श्रुतिलेखक की आवश्यकता कॉलम में Yes करना अनिवार्य होगा।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक- 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 11687, दिनांक- 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (मृतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं है)।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 एवं पत्रांक-12123, दिनांक-23.06.2023 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी परंतु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरते समय किये गये दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र यथा Matriculation प्रमाण पत्र, स्नातक या समतुल्य डिग्री/औपबन्धिक प्रमाण पत्र (Provisional Certificate), अनुसूचित जाति/जनजाती का जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अधिकतम उम्र में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को अपलोड करते हुए निर्गत संख्या एवं तिथि ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना आवश्यक है। साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के समय ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।

सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

4. उम्र सीमा:-

दिनांक 01.08.2024 को न्यूनतम उम्र सेवावार, 20 वर्ष, 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, अनारक्षित (महिला), पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष। सारणी - I के क्रम संख्या 02, 03 एवं 04 की सेवाओं के लिए 20 वर्ष, सारणी-I के क्रम संख्या-15 से 23 तक एवं सारणी-II के क्रम संख्या-01 की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा सारणी-I के क्रम संख्या-01, 05 से 14 तक एवं 24 की सेवाओं के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है।

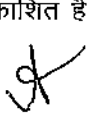
आयोग द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

- (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 8519, दिनांक 10.09.2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-22218 (गजट), दिनांक 12.12.2022 के आलोक में बिहार सरकारी के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित प्रावधान किया गया है:-
 - (क) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरान्त उनकी पूरी सेवा अवधि में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग-अलग अधिकतम कुल पाँच अवसर ही अनुमान्य होंगे।
 - (ख) उपर्युक्त निर्धारित पाँच अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारम्भ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिये गये अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी।
 - (ग) बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट पूर्ववत् अनुमान्य होगी। परन्तु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम 05 (पाँच) अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962, दिनांक 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगों को यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- (iii) 01 जनवरी, 1963 के बाद एन.सी.सी. में भर्ती किए गए पूर्णकालिक कैडेट/अनुदेशकों को एन.सी.सी. से विमुक्त हो जाने के बाद राज्य सरकार के अधीन ऊपर कंडिका 1 में उल्लिखित सेवाओं में पदों पर नियुक्ति के लिए अपनी वास्तविक उम्र से उतने दिन घटाने की अनुमति दी जायेगी, जितने दिनों तक उन्होंने एन.सी.सी. में पूर्णकालिक सेवा की हो और यदि परिणामी उम्र, किसी विशिष्ट सेवा या पद के लिए विहित ऊपरी उम्र सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो, तो उनके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि वे उन सेवाओं में या पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र की शर्तें पूरी करते हैं।
- (iv) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्त कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- (v) भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सी.ओज/एस.एफ.सी.ओज सहित) श्रेणी के पदाधिकारी भी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऐसे पदों पर उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्षों तक आयु शिथिलीकरण का लाभ उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सी.ओज/एस.एफ.सी.ओज सहित) को अनुमान्य होगा जिन्होंने कम से कम 5 वर्षों की लगातार सैनिक सेवा पूरी की हो एवं शर्त-समाप्ति के बाद सैनिक सेवा से विमुक्त हो गये हों अथवा छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, बशर्त कि ऐसी विमुक्ति कदाचार, अयोग्यता, शारीरिक अक्षमता अथवा अपंगता के परिणामस्वरूप नहीं हुई हो।
- (vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (ई.सी.ओज/एस.एफ.सी.ओज सहित) जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, वैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को राज्य सरकार की सेवा में सीधी नियुक्ति के लिए उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण का जो लाभ दिया गया है, उसका समावेश विचाराधीन छूट में कर लिया जायेगा। पूर्व में दी गई छूट के अतिरिक्त विचाराधीन छूट अनुमान्य नहीं होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूतपूर्व सैनिक एवं कमीशन्ड ऑफिसर्स (ई.सी.ओज/एस.एफ.सी.ओज सहित) की कारा सेवा हेतु अधिकतम उम्र सीमा तीन वर्ष तथा अन्य सेवाओं के लिए पाँच वर्ष अधिक होगी।
- (vii) सैन्य सेवा से विमुक्त ऐसे उम्मीदवार, जिन्होंने उच्चतम आयु सीमा में शिथिलीकरण के लाभ का दावा किया हो, सक्षम पदाधिकारी से सैन्य सेवा से विमुक्त होने अथवा ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि से छः महीने के भीतर विमुक्त होने वाले हों, का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
- (viii) निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (ix) उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही-सही एवं स्पष्ट रूप से उद्घृत करना अनिवार्य होगा।

5. शारीरिक क्षमता :-

उम्मीदवार स्वस्थ, सुगठित शरीर वाला और सक्रिय हो तथा उसे किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए, जिससे कर्तव्यों का भली भाँती पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

बिहार पुलिस सेवा/जिला समादेष्टा/काराधीक्षक पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी विनियमावली (परिशिष्ट 'क') में प्रकाशित है।

6. शुल्क :-

अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा (यथा 70th CCE / CDPO के लिए Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये तथा अलग-अलग प्रत्येक परीक्षा (यथा 70th CCE / CDPO के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

- सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 600/- (छः सौ) रुपये
- केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 600/- (छः सौ) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:- (1) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

- वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं बिहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

7. एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना

I. प्रारम्भिक परीक्षा (भाग-1):-

- एकीकृत संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा।
- प्रारम्भिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) किया जायेगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए $1/3$ Negative Marking का प्रावधान है।
- प्रारम्भिक परीक्षा महज जाँच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की दस (10) गुणी होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जायेगा।
- इस प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात् बिहार की अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवम् सामान्य मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे।
- इस प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक - 962, दिनांक-22.01.2021 के द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्ताता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

II. मुख्य (लिखित) परीक्षा (भाग-2):-

क्र.सं.	परीक्षा/पद का नाम	अनिवार्य विषय (विषय कोड)	वैकल्पिक विषय	विषय कोड
01	70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा	(i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।) (ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक (iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक (iv) निबंध (38) - 300 अंक	निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 100 अंक (100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ/MCQ आधारित) का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा परन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी। कृषि विज्ञान पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	04 05

			मानव विज्ञान	06
			वनस्पति विज्ञान	07
			रसायन विज्ञान	08
			सिविल इंजीनियरिंग	09
			वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि	10
			अर्थशास्त्र	11
			विद्युत इंजीनियरिंग	12
			भूगोल	13
			भू-विज्ञान	14
			इतिहास	15
			श्रम एवं समाज कल्याण	16
			विधि	17
			प्रबन्ध	18
			गणित	19
			यांत्रिक इंजीनियरिंग	20
			दर्शन शास्त्र	21
			भौतिकी	22
			राजनीति विज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	23
			मनोविज्ञान	24
			लोक प्रशासन	25
			समाज शास्त्र	26
			सांख्यिकी	27
			प्राणी विज्ञान	28
			हिन्दी भाषा और साहित्य	29
			अंग्रेजी भाषा और साहित्य	30
			उर्दू भाषा और साहित्य	31
			बंगला भाषा और साहित्य	32
			संस्कृत भाषा और साहित्य	33
			फारसी भाषा और साहित्य	34
			अरबी भाषा और साहित्य	35
			पाली भाषा और साहित्य	36
			मैथिली भाषा और साहित्य	37
क्र.सं.	परीक्षा/पद का नाम	अनिवार्य विषय (विषय कोड)	वैकल्पिक विषय	विषय कोड
02	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	(i) सामान्य हिन्दी (01) - 100 अंक (इस विषय में 30 प्रतिशत लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किन्तु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जायेगी।) (ii) सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र (02) - 300 अंक (iii) सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र (03) - 300 अंक	निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा, जो 300 अंक (विषयनिष्ठ आधारित) का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जायेगी।	
			गृह विज्ञान	39
			मनोविज्ञान	40
			समाजशास्त्र	41
			श्रम एवं समाज कल्याण	42

टिप्पणी :-

- प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क (मुख्य परीक्षा हेतु) विहित प्रक्रिया से जमा करना होगा।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वहीं होंगे, जो 70वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय है।
- एकीकृत मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गये वैकल्पिक विषय अलग होंगे, जिसमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा।

- (i) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे।
- (ii) सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी या उर्दू लिपि में से किसी एक ही भाषा में उत्तर दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी।
- (iii) प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश/उद्धृत अंश, यदि कोई है, का, चुनी गई भाषा के साथ, अंग्रेजी रूपान्तरण दे सकते हैं। इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने/नहीं करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा।
- (iv) कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक - 10668, दिनांक-29.06.2022 के द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।
- (v) मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई (2½) गुणा होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया जायेगा।

III. व्यक्तित्व परीक्षण (भाग-3) :-

- (i) मुख्य परीक्षा में सफलभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का होगा।
- (ii) व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।

अधिमानता का चुनाव :-

साक्षात्कार के समय अधिमानता कोड एवं सेवा/पद का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करेंगे तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस (x) करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जायेगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य परीक्षण:-

व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात् सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य है। उक्त जाँच के समय नकद 16/रु. (सोलह रूपया) मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह उस सेवा के नियुक्ति के लिए नहीं चुना जायेगा।

- (i) आयोग बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित अभ्यर्थी (PwBD) द्वारा दावा किये गये दिव्यांगता की परीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र होगा एवं परीक्षणोपरांत प्राप्त दिव्यांगता प्रतिशत अनुमान्य किया जायेगा। दिव्यांगता के संबंध में चिकित्सा पर्षद द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

मेधा सूची:-

- (i) 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र - 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र- 300 अंक, निबन्ध-300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल - 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।
 - (ii) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए मुख्य परीक्षा के 900 अंक (सामान्य अध्ययन, प्रथम पत्र - 300 अंक, सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र- 300 अंक एवं एक ऐच्छिक विषय-300 अंक) एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक कुल- 1020 अंकों के आधार पर पदवार मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जायेगा।
 - (iii) अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य (लिखित) परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त है उसे मेधा क्रम में उपर रखा जायेगा। मुख्य (लिखित) परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित किया जायेगा, वैकल्पिक विषय का प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधाक्रम में स्थान दिया जायेगा।
 - (iv) मेधाक्रमानुसार उम्मीदवारों द्वारा भरी गयी सेवा अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पद का आवंटन किया जायेगा।
 - (v) आयोग सफल उम्मीदवार को विज्ञापन में वर्णित किसी भी सेवा/पद के लिए अनुशंसित करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए उम्मीदवार ने इच्छा प्रकट की है तथा जिसके लिए आयोग उसे योग्य समझता है।
8. वैसे अभ्यर्थी प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य लोक सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
9. एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत/भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबाबदेह होंगे। गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

10. जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।

11. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं विस्तृत निर्देश निम्नांकित हैं:-

(i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	28.09.2024
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	18.10.2024

- अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण-पत्र/कागजात को PDF Format में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है।
- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों की जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश आयोग के आधिकारिक वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in/www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जायेगी।

विस्तृत निर्देश:-

ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि:-

- अभ्यर्थी के पास Valid एवं Working E-mail Id तथा Mobile No. मौजूद है। उक्त E-mail Id तथा Mobile No. को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे।
- आयोग के Official Website पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिन्दुओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र/दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है।
- संबंधित विज्ञापन के अनुरूप Application Form में Upload किये जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र/दस्तावेज की Scanned Copy (.pdf format, अधिकतम 100 KB size में) अभ्यर्थी के पास उपलब्ध है।
- जिस System (Desktop/Laptop etc.) से आवेदन भर रहे हैं उसमें अच्छी Quality का Webcam उपलब्ध हो साथ ही सुनिश्चित करें कि Photo Capture करते समय Background सफेद/हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी (Sufficient Light) उपलब्ध हो।
- Upload किये जाने वाले हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का Scanned Image (.jpg/jpeg format, अधिकतम 15KB size एवं dimension 220*100 pixel में) उपलब्ध है, जो सुस्पष्ट एवं पठनीय हो।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:-

One Time Registration (OTR):-

1. आवेदक सर्वप्रथम बिहार लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाईट <https://onlinebpsc.bihar.gov.in> पर जाकर "One Time Registration" के बटन पर क्लिक करते हुए अभ्यर्थी अपनी संबंधित सूचनाएँ भरेंगे एवं "Submit" बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद screen पर User Name एवं Password प्राप्त होगा, जिसे Registered Mobile no. पर भी देखा जा सकता है।
2. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 69वीं एकीकृत सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में One Time Registration कर लिया हैं वे उस समय प्राप्त User Name एवं Password से ही Login करेंगे।

Note:- भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापनों हेतु उक्त One Time Registration में प्राप्त User Name एवं Password ही मान्य होगा।

Application:-

3. One Time Registration की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद Registered Mobile no. पर प्राप्त User Name एवं Password से अभ्यर्थी <https://onlinebpsc.bihar.gov.in> के Home Page पर Login करेंगे। Login करने के उपरांत अभ्यर्थी को उनके OTR Dashboard पर Active/Ongoing Advertisement/Advertisements की List का Link उपलब्ध होगा।
4. अभ्यर्थी को जिस Advertisement/Advertisements के लिए आवेदन करना है उस पर Click करेंगे।
 - (i) अभ्यर्थी द्वारा भरे गये विभिन्न विज्ञापनों के अन्तर्गत Online Application का Dashboard अलग-अलग रहेगा। अभ्यर्थी को जिस विज्ञापन के लिए आवेदन करना है उसी Link पर Click करने के बाद उस विज्ञापन का Dashboard खुलेगा जिसपर आवेदन संबंधी अग्रेतर प्रक्रिया यथा Online Payment, Application Submission आदि पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
 - (ii) आवेदन प्रपत्र में कतिपय (कुछ) बॉक्स पूर्व से भरे होंगे, जिसे अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration के समय भरा गया है।
 - (iii) संबंधित विज्ञापन के अनुरूप Application Form में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित प्रमाण पत्र/दस्तावेज की Scanned Copy (pdf format, अधिकतम 100 KB size में) Upload करेंगे।
 - (iv) Application Form में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी Webcam के माध्यम से अपनी सुस्पष्ट Photo Capture कर Upload करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि वे टोपी/मफलर/रंगीन चश्मा आदि नहीं पहने हो।
 - (v) निर्धारित स्थान पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपना सुस्पष्ट हस्ताक्षर Upload करेंगे।
 - (vi) इसके बाद अभ्यर्थी Application Form Submit करेंगे तथा Online Payment की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं करने पर Application Form अमान्य होगा।

Payment:-

5. परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएँ सही हैं। अभ्यर्थी द्वारा Application Form Submit/Payment करने के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि में Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
6. Dashboard पर उपलब्ध Tab 'Online Payment' के Button पर Click करते हुए परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे।

Download Filled Application Form:-

7. परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Tab "Download Filled Application Form" पर Click करते हुए भरा हुआ आवेदन (Pdf) Download कर लेंगे। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि Download किये गये आवेदन (Pdf)/Hard Copy के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration No., Bar Code एवं Submitted Application No. अंकित है। आवेदन (Pdf)/Hard Copy पर Registration No., Bar Code एवं Submitted Application No. में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विज्ञापन में अंकित बिन्दुओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे। Online Application से संबंधित सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित हेल्प लाइन नम्बर पर कार्यालय अवधि में (सोमवार से शुक्रवार, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) सम्पर्क किया जा सकता है।

Helpline No.- 9297739013 (Only for Query related to Online Application)

अन्य निर्देश

- (i) वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे अपना आवेदन Cancel नहीं कर पायेंगे।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टि में Edit का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- (iii) अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। उम्मीदवारों को शुल्क जमा करने के पहले अवश्य देख लेना चाहिए कि वे विज्ञापन के अनुसार पात्रता रखते हैं।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित नहीं करेंगे।
- (v) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट (अच्छी) तस्वीर Webcam के माध्यम से खींच कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- (vi) अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।
- (viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की पाँच प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (x) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- (xii) ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।
- (xiii) ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12. महत्वपूर्ण निर्देश :

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
- (iii) शैक्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
- (iv) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- (v) इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अलग से, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
- (vi) आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (vii) इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम (Syllabus) आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

 23.9.2024

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

परिशिष्ट "क"
उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली

[यह विनियमावली, जो पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों पर लागू होती है, उनकी सुविधा के लिये और इसलिये प्रकाशित की जाती है, ताकि वे यह अभिनिश्चित कर सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक मानक में आ सकते हैं या नहीं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से जान लिया जाय कि राज्य सरकार को इस बात के लिये पूर्ण विवेक (डिस्क्रिशन) प्राप्त है कि वह ऐसे किसी उम्मीदवार को अयोग्य समझकर रद्द कर दे, जिसे वह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार सेवा के लिए शारीरिक रूप से अयोग्य समझती हो तथा इस संबंध में राज्य सरकार का स्वविवेक किसी भी हालत में इस विनियमावली द्वारा सीमित नहीं होगी। इस विनियमावली का एकमात्र उद्देश्य स्वास्थ्य परीक्षक का मार्ग दर्शन करना है, न कि राज्य सरकार के विवेक को किसी प्रकार प्रतिबंधित करना। जब कभी किसी महिला उम्मीदवार को स्वास्थ्य परीक्षा की जायेगी, तब मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में एक महिला डॉक्टर सहयोजित कर दी जायेगी।]

(टिप्पणी—इसमें पुल्लिंग शब्दों के प्रसंगानुसार स्त्रीलिंग का भी बोध होगा)

01. किसी उम्मीदवार को नियुक्ति के वास्ते योग्य करार दिया जाय, इसके लिए आवश्यक है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसमें ऐसी कोई शारीरिक त्रुटि न हो, जिससे उसके अपने पदीय कर्तव्यों के कुशल सम्पादन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

	बिना जूते की ऊँचाई	पूरी सांस छोड़ने के बाद छाती की माप	पूरी सांस लेने के बाद छाती की माप
21 वर्ष और उससे अधिक	62½ इंच और 65 इंच से कम	30 इंच	32 इंच
	65 इंच और 68 इंच से कम	31 इंच	33 इंच
	68 इंच और 70 इंच से कम	32 इंच	34 इंच
	70 इंच और 72 इंच से कम	33 इंच	35½ इंच
	72 इंच और उससे अधिक	34 इंच	36½ इंच

02. उम्मीदवारों की परीक्षा करते समय मेडिकल बोर्ड; उम्र, ऊँचाई और छाती की चौड़ाई की निम्न सह-संबद्ध तालिका का अनुसरण करेगा, किन्तु आदिवासी या अर्द्ध-आदिवासी उम्मीदवारों की दशा में उनके सामान्य निम्न स्तर के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए यह मेडिकल बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह निम्न स्तर के स्वास्थ्य वाले उम्मीदवार को योग्य करार दे या नहीं।

03. ऊँचाई—उम्मीदवार की ऊँचाई की माप निम्न तरीके से ली जायेगी:—

वह अपने जूते को खोलकर और पांवों को सटाकर एड़ी के बल पर, न कि अपने पैरों की ऊंगलियों या अपने पांवों को दूसरी तरफ बल देकर मानदंड के सामने खड़ा हो जायेगा। वह बिना तने ही सीधा खड़ा रहेगा और उसकी एड़ियाँ, पिंडलियाँ, नितम्ब और कंधे मानदंड से सटे होंगे तथा टुड्डी को इतना भर झुका दिया जायेगा कि सिर का ऊपरी भाग अनुप्रस्थ-पट्टी (हॉरिजेन्टल बार) से नीचे आ जाय। ऊँचाई इंच में अभिलिखित की जायेगी तथा इंच का भिन्नांक चौथाई इंच माना जायेगा।

04. छाती—उम्मीदवार की छाती की माप निम्न तरीके से ली जायेगी:—

उम्मीदवार अपने पांवों को सटाकर खड़ा हो जायेगा और उसकी दोनों बाहें, उसके सिर से ऊपर उठी रहेंगी। फीते को छाती के चारों ओर इस तरह लगाया जायेगा कि फीते का ऊपरी किनारा उसकी कांख के नीचे स्पर्श करे। इसके बाद दोनों बाहों को सामान्य रूप से नीचे लटकने दिया

जायेगा और इस बात पर ध्यान रहे कि कंधे ऊपर-नीचे न हों, क्योंकि ऐसा करने से फीता इधर-उधर हो जायेगा। तत्पश्चात्, उम्मीदवार को अनेक बार जोर से सांस लेने के लिये कहा जायेगा और तब छाती के अधिकतम फैलाव को सावधानी से नोट कर लिया आयेगा। छाती के न्यूनतम और अधिकतम फैलाव की माप इंच में अभिलिखित की जायेगी, जैसे-33"-35," 34"-36") आदि। "(माप करते समय)" से कम के भिन्नांक को नहीं लिखा जायेगा।

05. वजन-उम्मीदवार का वजन कर किलोग्राम में अभिलिखित किया जायेगा। किलोग्राम का भिन्नांक नहीं लिखा जायेगा।

06. दृष्टिशक्ति-उम्मीदवार की दृष्टिशक्ति की जाँच निम्नांकित नियमों के अनुसार की जायेगी। हरेक जाँच का परिणाम अभिलिखित किया जायेगा:-

(i) सामान्य-उम्मीदवार की आँखों में कोई रोग और असामान्यता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिये उसकी आँखों की सामान्य जाँच की जायेगी। यदि आँखें या पलकों में ऐसा कोई भेगापन या विकृति हो या उसकी ऐसी बनावट हो, जिसके चलते वह सेवा के लिये अयोग्य हो या भविष्य में अयोग्य हो जा सकता है, तो ऐसा उम्मीदवार सेवा के लिये अयोग्य माना जायेगा।

(ii) दृष्टि-तीक्ष्णता-

(क) दृष्टि की तीक्ष्णता के निर्धारण के लिये दो प्रकार की जाँच की जाती है, एक दूर दृष्टि और दूसरी निकट दृष्टि की। प्रत्येक आँख की जाँच अलग-अलग की जायेगी। दूर दृष्टि के लिये सेलेन जाँच-टाइप 20 फीट की दूरी पर, बिना चश्मा के, की जायेगी और निकट दृष्टि के लिये बिना चश्मा के उतनी दूरी से जाँच की जायेगी, जो उम्मीदवार पसंद करे।

(ख) कोर्निया की हल्की-फुल्की (नेबुला ऑफ कोर्निया) के चलते दोषयुक्त दृष्टि वाले उम्मीदवार को छाँट दिया जायेगा।

(ग) दोषयुक्त वर्ण-बोध (डिफेक्टिव कलर विजन) के कारण उम्मीदवार को छाँटा तो नहीं जायेगा, किन्तु कार्यवाही में इस बात का उल्लेख कर दिया जायेगा।

(घ) प्रत्येक आँख के लिये एक दृष्टि क्षेत्र की अनिवार्यतः जाँच होनी चाहिये, जो कि हस्त-संचालन के जरिये की जाय।

(ङ) जिस उम्मीदवार की दृष्टि तीक्ष्णता नीचे दिये गये स्तर से कम हो, उसे नहीं लिया जायेगा-

	अच्छी आँख	खराब आँख
चश्मा रहित दूर दृष्टि	6/24*	6/24
चश्मा लगाने पर दूर दृष्टि	6/6	6/12
व्यक्त दीर्घदृष्टि (मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया)	1.5	1.5
चश्मा सहित या रहित निकट दृष्टि	0.8	1

*यह अस्थायी रूप से घटाकर 6/60 कर दिया गया है।

(च) नियुक्ति के लिये सभी उम्मीदवारों की दृष्टि की तीक्ष्णता निम्न प्रकार कार्यवाहियों में दर्ज की जायेगी:-

दायीं दृष्टि.....चश्मा सहित.....पढ़ता है।

बायीं दृष्टि.....चश्मा सहित.....पढ़ता है।

(छ) गम्भीर असामान्यता की दशा में नेत्र-रोग विशेषज्ञ की राय ले ली जाय।

टिप्पणी:- ऐसे किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति न की जायेगी, जिसकी दृष्टि संस्पर्श चश्मा (कन्टैक्ट ग्लासेज) के लगाये बिना उपर्युक्त अपेक्षाओं से कम होगी (संस्पर्श चश्मा या लेंस एक ऐसा चश्मा है, जिसकी अब तक (कानकेबिटी) और आँख के गोले के साथ सम्पर्क रहता है और लेंस

तथा कोर्निया के बीच तरल की एक परत लगी रहती है। जहाँ कहीं भी चश्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे यह नहीं समझा जायेगा कि उसके अंतर्गत संस्पर्श-चश्मा भी आता है। इसके प्रयोजनार्थ आँख की दृष्टि सुधारने के लिए संस्पर्श-चश्मे को भी साधारण चश्मा समझा जायेगा।

- (ज) पास्टिरियर स्टेफिलोमा के साथ निकट दृष्टि वालों (माइयोपियन) को भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि किसी भी आँख की दूषित दृष्टि (एमेट्रोपिया) $(-)$ 2.5 डी० से अधिक न हो और रंजित पटल (कार्याड) या रेटिना में विकारी परिवर्तन न हो।
- (झ) पच्चीस वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी किसी भी आँख या दोनों आँखों की दूषित दृष्टि (एमेट्रोपिया) $(-)$ 3.5 डी० से अधिक न हो और उसकी प्रत्येक आँख की दृष्टि सुधार कर 6/6 कर दी गयी हो।
- (ञ) दीर्घ दृष्टि (हाइपरमेट्रोपिया) वाले उम्मीदवार को भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी दृष्टि तीक्ष्णता निम्न प्रकार हो:-

	अच्छी आँख	खराब आँख
चश्मा लगाने पर	दृष्टि 6/6	दृष्टि 6/9

07. पेशाब की जाँच परीक्षक के सामने कराकर की जायेगी और उसके परिणाम को अनुबद्ध फॉर्म में दर्ज कर दिया जायेगा।

08. निम्न अतिरिक्त बातों पर भी ध्यान रखा जायेगा:-

- (क) कि उम्मीदवार अपने दोनों कान से अच्छी तरह सुन लेता है और उसे कान का कोई रोग नहीं है; जो उम्मीदवार परीक्षक की ओर पीठ करके 10 फीट की दूरी पर सामान्य से थोड़ी ऊँची आवाज से बोलने पर सुन ले, उसे योग्य समझा जायेगा। उसके प्रत्येक कान की जाँच अलग-अलग की जायेगी और प्रत्येक कान को बारी-बारी से तेल में भिंगोई रुई से बन्द करके जाँच की जायेगी;
- (ख) कि उसकी बोली में हकलाहट नहीं है;
- (ग) कि उसके दाँत अच्छी हालत में हैं और अच्छी तरह चबाने के लिए आवश्यकतानुसार नकली दाँत भी लगे हुए हैं (गठे हुए दाँत अच्छे दाँत समझे जायेंगे);
- (घ) कि उसकी छाती की बनावट अच्छी है और उसका विस्तार पर्याप्त है तथा उसका हृदय और फेफड़ा अच्छी हालत में हैं;
- (ङ) कि उदर रोग का कोई लक्षण नहीं है;
- (च) कि उसे किसी प्रकार का आँत रोग (हर्निया) नहीं है;
- (छ) कि उसका फोता इतना बड़ा हुआ नहीं है कि जिससे वह अपने कर्तव्य को सम्पादन करने में असमर्थ हो तथा उसे गंभीर बेरिकोसिल, बेरिकोजेन्स या बवासीर या स्क्रोटल ट्यूमर नहीं है;
- (ज) कि उसके अवयव (लिम्ब्स), हाथ, पाँव की रचना पुष्ट और विकसित हैं तथा उसके सभी जोड़ों का संचालन ठीक-ठीक आसानी से होता है;
- (झ) उसे कोई जीर्ण और पुराना चर्म रोग नहीं है;
- (ञ) कि उसमें कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है;
- (ट) कि उसमें किसी नये या पुराने रोग का कोई ऐसा लक्षण नहीं है, जिससे कि उसके शारीरिक अंग पर किसी विकृति का संकेत मिलता हो;
- (ठ) कि उसने टीका लगाये जाने का प्रमाण पत्र पेश कर दिया है; तथा
- (ड) कि वह संचारी रोगों से मुक्त है।